पटना में दिनांक–26 फरवरी, 2013 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के 38 (अड़तीस) जिला उद्योग केन्द्रों एवं उद्योग निदेशालय (मुख्यालय) स्थित जिला उद्योग केन्द्र कोषांग गैर योजना (अस्थाई) में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि एवं अन्य मदों में भुगतान के लिए मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 लघु उद्योग, माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड–N2851001020001 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 5,88,20,500.00 (पाँच करोड़ अठासी लाख बीस हजार पाँच सौ) मात्र अतिरिक्त अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 1. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2. श्री उमेश चन्द्र द्विवेदी, बिहार शिक्षा सेवा (संग्रहालय शाखा) वर्ग–2, प्रभारी निदेशक संग्रहालय, बिहार को सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

गृह विभाग (विशेष)

3. भागलपुर दंगा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को न्याय दिलाने, पुनर्वासित करने और भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु गठित भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग के कार्यकाल की अवधि दिनांक 01.03.2013 से दिनांक–28.02.2014 तक पूर्व शर्त्तों पर विस्तारित करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

गृह विभाग

4. विधि–व्यवस्था डियूटी के लिए विभिन्न जिला/इकाई के गृह रक्षकों की कॉल–अप अधिसीमा 11955 में 20 प्रतिशत अर्थात 2392 की बढ़ोत्तरी की स्वीकृति एवं इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 17,46,16,200 (सत्रह करोड़ छियालीस लाख सोलह हजार दो सौ रूपये) की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

5. राज्य के 155 पुलिस थानों में विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान के पृथककरण हेतु थानाध्यक्ष के पद को पुलिस निरीक्षक कोटि में उत्क्रमित कर सृजन करने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।